निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 10 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग चकराता,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग चकराता, के माह 10/2015 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री भारत सिंह,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,एवं श्री अंकित पांडे, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28/05/2018 से 04/06/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा सर्व श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री शंकर सिंह दरियाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एव श्री मनोज कुमार सिंह पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 4/11/2015 से 16/11/2015 तक संपादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 07/2012 से 09/2015 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

(iii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग चकराता,**के अंतर्गत विधान सभा चकराता के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य

(iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	आवंटन	व्यय
2015-16	-	1410.77	1410.75
2016-17	-	2011.76	2011.75
2017-18	-	5651.68	5651.68

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		Nil			

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “B” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

1.क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

1.अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत लोक निर्माण विभाग, देहरादून

1. अधिशासी अभियन्ता,**अस्थाई** खण्ड,लोक निर्माण विभाग,चकराता

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग चकराता,** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग चकराता,**

(vii) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2018 एवं 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु एवं जनपद देहरादून में विधान सभाक्षेत्रचकरातामें गौराघाटी-लावड़ी-मानधात मोटर मार्ग किमी01 से 15 तक DBM एवं BC द्वारा कार्य का विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .... से .... का निरीक्षण किया गया।

खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 09/2016 तक की गई।

फार्म 51: माह 03/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम Rs.687242.21

भाग द्वितीय Rs.639696.50

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 04/2018के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	10474261.00
(ख)	सामग्री क्रय	Nil
(ग)	नगद परिशोधन	Nil
(घ)	निक्षेप	36976873.64
(ङ)	भण्डार	NIL

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखो से आहरित धनराशि रुपए 5.92 लाख का अंकन न किया जाना तथा किस्तों की वसूली न होने पर भी पासबुक/लेजर में किस्तों का दर्शाया जाना।

सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं वित्तीय नियमो के अनुसार सामान्य भविष्य निधि से किसी भी प्रकार से आहरित धनराशि का अंकन लेखो में तुरंत किया जाना चाहिए ताकि अभिदाता को किसी भी स्थिति में अधिक भुगतान न हो पाये

अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड बाजपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि लेखो की जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों ने उल्लिखित आहरण वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया था किन्तु आहरितधनराशि को सामान्य भविष्य निधि से संबन्धित लेखों(जीपीएफ़ लेजर/पासबुक) से घटाया नहीं गया था जिस कारण लेखों मेंअधिक धनराशि एवं अधिक ब्याज की राशि लेखों में प्रलक्षित हो रही थी।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	आहरित धनराशि	आहरण माह	आधिक्य ब्याज	कुल आधिक्य
1	श्री जसराम (DDN/4227/00056)	100000	4/2015	16,451.00	116451
2	श्री तेज बहादुर (DDN/4227/00084)	100000	8/2015	16,451	116451
3	धेमा (DDN/4227/159)	40000	6/2015	9,957	49957
4	श्री वीर सिंह (DDN/4227/162)	180000	12/2015	16,451	116451
5	श्री प्रेम सिंह (DDN/4227/209)	80000	6/2015	19,915	99915
6	श्री चन्दन सिंह	80000	7/2015	13161	93161

(ब) खंड के कर्मचारी श्री जोबन सिंहs/o श्री सूरज सिंहके भविष्यनिधि से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कर्मचारी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के माह 04/2015 में रुपए 175000 का अस्थाई अग्रिम आहरित किया गया था जिसके वापसी कि किश्त रुपए 5000/- प्रतिमाह की दर से कुल 11 किश्त की धनराशि रुपए 55000 (खंड द्वारा 60000 दर्शाई गई है)जमा करना दर्शाया गया है जबकि संबन्धित माहों के वेतन देयक पंजिका (PBR) में उक्त लिए गए आहरण की किश्तों वसूली नहीं दर्शाई जा रही थी

(स) श्री कल सिंह के वित्तीय वर्ष 2015-16 के सामान्य भविष्य निधि से संबन्धित अभिलेखो की जांच में पाया गया कि उनके द्वारा आहरित अस्थाई अग्रिम धनराशि रुपए 70000 (माह 05/2012) की किस्त संख्या 34 एवं 35(रुपए 4000)को वित्तीय वर्ष 2015-16 में शामिल न करते हुये अंतिम भुगतान कर दिया गया था लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया की पाई गई कमियों का निराकरण कर लिया जाएगा खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जहां एक ओर आहरण का अंकन न किए जाने से अधिक भुगतान की संभावना है वही दूसरे प्रकरण में किश्तों की वापसी सुनिश्चित किए बिना ही किश्तों की वापसी का अंकन किया जा रहा था।

अतः खंडीय शिथिलता के कारण रुपए 5.80 लाख की आहरित धनराशि का अंकन न किए जाने के साथ किश्तों की वापसी सुनिश्चित किए बिना ही किश्तों की वापसी का अंकन एवम सेवानिवृतकर्मचारी को पूर्ण धनराशि का भुगतान न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2 विभिन्न अवधि में अधिकारियों को दिये गए अग्रिमों की वसूली न किया जाना तथा ठेकेदारों से वसूली जाने वाली धनराशि को अग्रिम पंजिका में डाला जाना।

ठेकेदारों/ अधिकारियों को समय -2 कार्य निष्पादन हेतु दिये गए अग्रिमों का खण्ड द्वारा यथाशीघ्र वसूली/ समायोजन कर लिया जाना चाहिए ताकि शासकीय धन की रक्षा की जा सकें। अधिशासी अभियंता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग चकराता के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड द्वारा विगत वर्षो में खण्ड में पदस्थ अधिकारियों को रुपए 3343440.00 के अग्रिमविभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु प्रदान किए गए थे किन्तु वर्तमान तक भी उक्त धनराशियों का समायोजन/वसूली खण्ड द्वारा नहीं कि गई थी (विवरण संलग्न है)

Item No.	Month from which transaction date	Particulars	Amount
10/10	03/1995	Shri R.S. Panwar,AE	28368.00
17/17	02/1997	Shir Jograj Singh	3500
23/23	10/2000	Shri S.K Arya,AE	7739
24/24	3/2002	Shri S.K Arya,AE	1074584
25/25	3/2002	Shri R.B. Rathore	7360
26/26	03/2002	Shri M K Burman	482854
27/27	3/2002	Shri Ajmer Singh	13069
31	02/2003	Shri Hariom Sharma	3750
32	02/2003	Shri S.K Arya,AE	3750
35	03/2003	Shri Atar Singh	3180
38	08/2004	Shri Hariom Sharma	596161
39	08/2004	Shri S.K Arya,AE	543174
40	08/2004	Shri C.P. Singh	258744
41	08/2004	Shri M.K Burman	317207
		Total	3343440.00

इसी प्रकार खण्ड के अंतर्गत विभिन्न ठेकेदारों के सापेक्ष रुपए 4060992.00 की धनराशि जो ठेकेदारों के अर्थदण्ड,रॉयल्टी की वसूली से संबन्धित है उक्त वर्णित धनराशि 5 से 15 वर्ष पुरानी है एवं वर्तमान असमायोजित पड़ी है।लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत काराया गया की सम्बन्धितों से पत्राचार कर धनराशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दिये गए अग्रिमों का यथाशीघ्र समायोजन कर लिया

जाना चाहिए था किन्तु खण्ड द्वारा विभिन्न अधिकारियों एवं ठेकेदारों को दिये गए अग्रिमों का समायोजन वर्तमान तक नहीं किया जा सका था एवं उक्त वर्णित अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी वर्तमान में खंड में कार्यरत्त नहीं है शासकीय धन की वसूली हेतु खंड द्वारा केवल पत्राचार ही किया गया था RC हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।अतः विभागीय शिथिलता के कारण 7404432.00 की अग्रिमों के समायोजन न होने का प्रकरण सज्ञान में लाया है।

<u>भाग-II (ब)</u>

प्रस्तरः3 -रोड कटिंग चार्ज को राजस्व शीर्ष में जमा न किया जाना धनराशि-12602475.00

वित्तीय हस्त पुस्तिका (यूपी) के वॉल्यूम-6 के भाग -1 के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मेनुयल के प्रस्तर 81 व 82(iii) के अनुसार विभागीय अधिकारियो का यह दायित्व है कि खण्ड को प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्तियों को सही प्रकार प्राप्त कर बिना देरी के उनको सही शीर्ष में सही प्रकार से क्रेडिट किया जा रहा है अथवा नहीं एवं राजस्व प्राप्तियों को शासन की स्वीकृति के बिना विभागीय प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये।

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग चकराता के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड द्वारा रोड कटिंग चार्ज के रूप में प्राप्त धनराशि रुपए 12602475.00 को राजस्व शीर्ष 0059(Public Works) में जमा न कर अनियमित रूप से 8443 सिविल जमा भाग-3 में रखा गया है

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त धनराशि को 8443 डिपॉजिट में रखा गया है उक्त मार्ग कि मरम्मत होने के पश्चात तथा ठेकेदारों को भुगतान करने के पश्चात उक्त धनराशि का समायोजन हो जाएगा खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार उक्त धनराशि को राजस्व शीर्ष में जमा किया जाना था

अतः रुपए 12602475.00 की धनराशि को राजस्व शीर्ष में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- खण्ड की लापरवाही के कारण ` 12.95 लाख की विभागीय मशीनरी का अनुपयोगी रहना।

अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, चकराता के कार्यालय के अभिलेखों (सैनसस रिपोर्ट) की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि वाहन – Tata Truck Model No. – 2005 (UA 07 C 8490) का उपयोग खंड द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान नहीं किया गया है। खंड की सैनसस रिपोर्ट वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के अनुसार उपरोक्त वाहन का उपयोग न किए जाने का कारण खंड मे ड्राईवर की अनुपलब्धता है। उपरोक्त वाहन का उपयोग न किए जाने के संबंध मे खंड द्वारा दिया गया तर्क मान्य नहीं है क्योंकि खंड से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2005 से लेखापरीक्षा की तिथि तक खंड मे 2 या 2 से अधिक ड्राईवर नियमित रूप से कार्यरत थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, खंड की सैनसस रिपोर्ट वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के अनुसार उपरोक्त वाहन कई वर्षो से स्टोर मे खड़ा है एवं कई वर्षो से स्टोर मे खड़ा रहने के कारण कार्य की स्थिति मे नहीं है। खंड से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त वाहन वर्ष 2013 से खंड के स्टोर मे उनुपयोगी रूप से खड़ा है। स्टोर मे खड़ा किए जाने से पूर्व उपरोक्त वाहन का कितने कि०मी०/घण्टे उपयोग किया गया है की कोई भी जानकारी खंड द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

खंड से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त वाहन का क्रय वर्ष – 2005 मे मूल्य - ` 12.00 लाख मे किया गया था एवं वर्ष 2010 से वर्ष 2012 के दौरान उपरोक्त की मरम्मत मे ` 0.95 लाख का व्यय भी खंड द्वारा किया गया था। मोटर वहीकल एक्ट – 1988 के अनुसार उपरोक्त वाहन की निर्धारित आयु 15 वर्ष है परंतु खंड द्वारा उपरोक्त वाहन को केवल **‘07’** वर्ष (2005-2012) उपयोग करने के पश्चात खंड के स्टोर मे खड़ा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, खंड द्वारा उपरोक्त वाहन का उपयोग न किए जाने के बाद भी उपरोक्त वाहन को अन्य खंडो मे स्थानांतरित करने हेतु खंड द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किए गए।

अत: खंड की लापरवाही एवं सरकारी संपत्ति की देखभाल की कमी के कारण ` 12.95 लाख की विभागीय मशीनरी के अनुपयोगी रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1.	33/01-02	**1**	01
2.	**26/01-02**	-	**03**
3.	**22/02-03**	**03**	**03**
4.	**14/04-05**	**01**	**01**
5.	**125/05-06**	-	**02**
6.	**20/06-07**	**01**	**01**
7.	**49/07-08**	**01**	**01**
8.	**37/10-11**	**01**,02	**-**
9.	**32/12-13**	**01**,03	**1,2,3**
10.	**79/2015-16**	-	**1,2,3**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरोंकी अद्यतन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग चकराता,** उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0 नाम	पदनाम	
1.श्री रजनीश कुमार	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से 11/3/2017तक
2.श्री वी डी भट्ट	अधिशासी अभियन्ता	12/3/2017 से वर्तमान तक

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।
   1. **श्री एफ सी शर्मा**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग चकराता,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2